2761

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018 Dated Shimla-171002, the 9-10-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.9919 ha(instead of 1.0489 ha) of forest land for construction of 800 KW Pahali mini HEP in favour of M/S Manali Green Hydro Power Pvt. Ltd., within the jurisdiction of Kullu Forest Division, District Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/02/50/2014/1120** दिनांक **31-08-2018** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.9919 ha(instead of 1.0489 ha)** हैक्टेयर वन भूमि को **M/s Manali Green Hydro Power Pvt. Ltd.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा guideline para 3-2(viii)(b) के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुसार 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण एवम् 7–10 वर्षों तक रख–रखाव किया जाएगा।

3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी.ए. हेतु रू0 399844/– की धनराशि जमा की गयी है जबकि सी.ए. के लिए 1000 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु रू0 291800/– की धनराशि जमा करनी थी। अतः यदि प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो सी.ए. की अतिरिक्त जमा धनराशि को वापस लेने के प्रकरण को संसोधित कर सकती है।

4 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

8 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां– जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

10 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 trees से अधिक न हो।

10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे bearing भी अंकित किया जाएगा।

11 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection)Act,1986.

12 The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

Contd./2

13 The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Departmen. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.

14 The Forest Department shall ensure that the User Agency shall comply the provision of the all Rules, Regulations and Guidelines, issued for laying transmission line in forest areas the time being in force as applicable to the project.

15 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet RCC pillars, each pillars, inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from pillar to pillar etc

16 The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

17 User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.

18 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum-Deputy Commissioner, District Kullu, HP.

19 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-3/2018** Dated, Shimla-171001 the, **9-10-2018**

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun-248006.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- APCCF(FCA)O/o HPFD,HQ Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh .
6. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu, H.P.
7. M/s Manali Green Hydro Power Pvt. Ltd. Kullu Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 9-10-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

SFCA
12/x/18
APCCF(FCA)
12.10.18

2773

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018 Dated Shimla-171002, the 8/9-10-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.957 hectares of forest land in favour of HPSEB for the construction of 132 KV D/C Transmission Line from tapping tower No. 54 of Kangu Largi to proposed 132/33 KV Sub Station at Ratti for SOP to ESIC Hospital and Medical College Nerchock, within the jurisdiction of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तगर्त जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B-HPB/02/28/2016/1184** दिनांक **07.09.18** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.957** हैक्टेयर वन भूमि को **HPSEB** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 440 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक किया जाएगा।

3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमीशन लाईन के नीचे, ROW के अंदर जहाँ–जहाँ संभव हो, बौने पौधें (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7–10 वर्षों तक रख– रखाव वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वृक्षारोपण योजना हेतु प्राप्त राशि के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

4 Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.

5 The Trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.

6 During construction of transmission line, pollarding /pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local Forest Officer.

7 Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local Forest Officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.

8 In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum clearance between conductor and trees as follows: 4.00 m for 132 KV.

contd/2

9 In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.

10 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

11 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

13 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्राकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

14 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

15 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 44 trees से अधिक न हो।

16 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमाकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।

17 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

18 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मवारी होगी।

19 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. **FFE-B-F(2)-3/2018** Dated, Shimla-171001 the, 8/9 -10-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Mandi Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Suket Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. Executive Engineer/Asstt. Engineer, HPSEB Suket , Distt. Mandi HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 9-10-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

SI FCA
12/X/18
APCCF(FCA)
12.10.18

3359

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018 Dated Shimla-171002, the 9-10-2018

Order

Sub :- Diversion of 4.9366 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Pahnallah to Linger Bansu Road (Km. 0/0 to 11/500), within the jurisdiction of Parbati Forest Division, District Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/06/43/2017/ FC/1297** दिनांक **25-09-2018** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **4.9366** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

1 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार Survey No. 53 e/1/NW, Maharaja-III UPF Bonu kutla में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **10.00** है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। जिनमें कम से कम 50 % पौधे ओक प्रजाति के लगाये जायें। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/ कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां– जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।

8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

9 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 525 trees से अधिक न हो।

10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे bearing भी अंकित किया जाएगा।

11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं,तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Contd./2

13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदश सरकार शिमला –2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 Dated, Shimla-171001 the, 8-10-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun-248006.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- APCCF(FCA)O/o HPFD,HQ Shimla for information,
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh .
6. DFO Parbati Forest Division, Distt., Kullu, H.P.
7. Executive Engineer/Asstt. Engineer, HPPWD Parbati , Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 9-10-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

SFCA
12/10/18
APCCF(FCA)
12.10.18